

1530(ए)
21/2/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 21/02/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, अररिया के अन्तर्गत Widening & Strengthening of Araria-Bairgachhi-Madanpur-Sikti Road from km 0.00 to 29.08 for the year 2018-19 के वित्तीय बीड पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं इस पर विभागीय ज्ञापांक-325(ई0) दिनांक-11.01.2019 द्वारा संसूचित विभागीय निविदा समिति का निर्णय तदनुसार मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना कार्यालय के पत्रांक-370(अनु0) दिनांक-29.01.2019 के माध्यम से प्राप्त वित्तीय बीड की अनुशंसा के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- 2.1 कार्य का नाम : पथ प्रमंडल, अररिया के अन्तर्गत Widening & Strengthening of Araria-Bairgachhi-Madanpur-Sikti Road from km 0.00 to 29.08 for the year 2018-19
- 2.2 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम : पथ प्रमंडल, अररिया।
- 2.3 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग : ₹9028.84 लाख।
विभागीय पत्रांक-6090(एस0), दिनांक 07.08.2018
- 2.4 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग : ₹9149.78 लाख।
मु0अभि0, के0नि0सं0, प0नि0वि0, पटना का पत्रांक-919(अनु0), दिनांक 23.11.2018
- 2.5 परिमाण विपत्र की राशि : ₹9499.50012 लाख।
- 2.6 कार्य समाप्ति की अवधि : 24 months.
- 2.7 निविदा की प्रक्रिया : ई-टेंडरिंग (SBD)
- 2.8 निविदा प्राप्ति की तिथि : 11.12.2018
- 2.9 प्राप्त निविदा की संख्या : 07 (सात) अदद यथा:-

f E ✓
Ahi
21/2/19

(i) AARPEE Infra Projects Pvt. Ltd.,
Room No-201, 2nd Floor, infinity
Square, 2nd mile, Sevoke Road,
Beside, PCM Bus Terminal, P.O-
West Bengal.

(ii) Arihant contractors Pvt. Ltd.
Birpur (Supaul), Bihar .

(iii) Bhartia Infra Projects Ltd.
Baruah Road, Ulubari, Guwahati.

(iv) M/S Ganesh Ram Dokania, Banka, Bihar-
813102.

(v) M /S Simanchal Construction,
Ashram Chowk, Araria, Ward No-14,
Post & Distt-Araria.

(vi) M/S Sri Ram Enterprises, Sri Ram Tower,
M.P.D. Road, Bhagalpur.

(vii) Topline Infra Projects Pvt. Ltd.,
Premier House, 19 Ganesh Chandra
Avenue, 2nd Floor, Room No-6A,
Kolkata-700013(WB).

2.11 विभागीय निविदा समिति द्वारा तकनीकी : प्र07/निविदा-06-03/2019-325(ई0)
बीड निष्पादन का प्रसंग दिनांक 11.01.2019

2.12 तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों का निविदित दर निम्नरूपेण है :-

क्रमांक	निविदाकारों का नाम	निविदित दर
1	M/S Sri Ram Enterprises	परिमाण विपत्र की राशि से 10 (दस) प्रतिशत कम।
2	M/S Ganesh Ram Dokania	परिमाण विपत्र की राशि से 10 (दस) प्रतिशत कम।
3	M /S Simanchal Construction	परिमाण विपत्र की राशि से 10 (दस) प्रतिशत कम।
4	Arihant contractors Pvt. Ltd	परिमाण विपत्र की राशि से 10 (दस) प्रतिशत कम।
5	Bhartia Infra Projects Ltd	परिमाण विपत्र की राशि से 10 (दस) प्रतिशत कम।

3. मुख्य अभियंता का अनुशंसा:

इस प्रकार पाँचों निविदाकारों का उद्धृत दर एक समान एवं न्यूनतम है, जो परिमाण विपत्र के दर से 10% कम है। निविदाकारों द्वारा न्यूनतम उद्धृत दर पर निविदा की राशि ₹ 85,49,55,011.00 (पच्चासी करोड़ उनचास लाख पच्चपन हजार ग्यारह रुपये) मात्र होती है। इसलिए वित्तीय बीड में न्यूनतम समान दर अंकित करने वाले निविदाकार के बीच लॉटरी कर, लॉटरी में सफल निविदाकार के पक्ष में कार्य आवंटन की अनुशंसा की जाती है।


4. विषयांकित कार्य के लिए पाँच निविदाकारों में से एक निविदाकार मेसर्स सीमांचल कन्स्ट्रक्शन विभागीय ज्ञापांक-1396(E) दिनांक 15.02.19 द्वारा एक वर्ष के लिए निलंबित है। फलस्वरूप विभागीय पत्रांक-533(S) दिनांक 23.01.13 की कंडिका (ii) के आलोक में इनका निविदा विचारणीय नहीं है।





5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:


तकनीकी बीड में शेष चार निविदाकारों द्वारा निविदित दर समान एवं न्यूनतम है, अतः बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के नियम-163(1) के आलोक में सभी संबंधित निविदाकारों की उपस्थिति में अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 20.02.2018 को सम्पन्न Draw of lots में M/S Sri Ram Enterprises सफल हुए (कार्यवाही संलग्न)। तदनुसार पथ प्रमंडल, अररिया के अन्तर्गत Widening & Strengthening of Araria-Bairgachhi-Madanpur-Sikti Road from km 0.00 to 29.08 for the year 2018-19 के पुनर्निविदा में M/S Sri Ram Enterprises, Sri Ram Tower, M.P.D. Road, Bhagalpur को उनके उद्धृत दर जो परिमाण विपत्र की राशि से 10(दस) प्रतिशत कम है यानि ₹85,49,55,011.00 (पच्चासी करोड़ उनचास लाख पचपन हजार ग्यारह रुपये) मात्र पर निविदा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।


- 5.2 कार्यपालक अभियंता द्वारा तीन दिनों के अन्दर Letter of Acceptance निर्गत किया जायेगा।
- 5.3 यदि उक्त संवेदक पथ निर्माण विभाग में निबंधित नहीं है, तो बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के अधीन उनके निबंधित होने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाए।
- 5.4 एकरारनामा करने के पूर्व अग्रधन की राशि का सत्यापन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराना सुनिश्चित किया जाय।
- 5.5 निविदाकार से SBD के ITB Clause 27.4 एवं इस आलोक में निर्गत विभागीय पत्रांक-3376 (एस०) दिनांक-17.08.2010 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत आवश्यक अतिरिक्त Performance Security प्राप्त करने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाय।
- 5.6 राशि की अंकगणितीय जाँच मुख्य अभियंता द्वारा अपने स्तर से कर लिया जायेगा।
- 5.7 एकरारनामा होने के उपरान्त इसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।
- 5.8 विभागीय निविदा समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इसे विभागीय वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाय।


(रामावतार साह)
मुख्य अभियंता,
उत्तर उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
पटना।


(राजकुमार लाल)
मुख्य अभियंता,
सीमांचल उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
पटना।


(रजवीश कुमार)
उप सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।


(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक: प्र07/निविदा-06-03/2019- 1530 (६)

पटना, दिनांक 21/2/19

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग/ सीमांचल उपभाग/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, पूर्णियाँ/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,

